

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(61)एम.ई./ग्रुप-1/2012


जयपुर, दिनांक - 7 NOV 2017

आदेश

निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में कार्यव्यवस्था अन्तर्गत एक वर्ष के लिये तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है :-

क्र.सं.	चिकित्सक शिक्षक का नाम/पदनाम	विशिष्टता	कहाँ से	कहाँ को
1.	डॉ० सुनील गोखरू, सहायक आचार्य	यूरोलोजी	मेडिकल कॉलेज अजमेर	मेडिकल कॉलेज उदयपुर
2.	डॉ० अर्चना गोखरू, आचार्य	मेडिसिन	मेडिकल कॉलेज अजमेर	मेडिकल कॉलेज उदयपुर


आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/उदयपुर।
5. सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक द्वारा मेडिकल कॉलेज अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव